फर्द .अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

भंवरलाल बनाम रूडा

मुकदमा संख्या /वर्ष : 09 /20 18 (दावा)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का मनन कर पाया गया कि मौजूदा प्रकरण से संबंधित विवादग्रस्त भूमि बाबत गाल्वी मंदिर का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र लम्बित होना तहसीलदार (द.अ.) जयपुर द्वारा न्यायालय को अपने पत्र से अवगत करवाया है। अभी प्रकरण साक्ष्य वादी की स्टेज पर है। अतः न्यायालय यह पाता है कि रेफरेन्स विचाराधीन रहते वाद का निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है। यदि इस न्यायालय द्वारा तनकीह कर दिया जाता है तो रेफरेन्स विचाराधीन रहते उसकी पालना रिकार्ड में भी नहीं की जा सकती। रेफरेन्स विचाराधीन रहते वाद की सुनवाई करने से पक्षकारान को अनावश्यक ही वित्तीय बोझ भी सहन करना पड़ रहा है व न्यायालय का भी कीमती वक्त जाया हो रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय रेफरेन्स के निर्णय उपरान्त प्रार्थी के वाद को पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते वाद फैसल करना उचित पाता है। उक्त विवेचन के अनुसार निस्तारित पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/8/22 खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 15:54:21 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम